

नगर नगम, जयपुर

एम्पावर्ड कमेटी प्रशासन शहरों के संग 2012 कार्यवाही विवरण

26.3.13 को 4:00 बजे प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012 के अंतर्गत गठित एम्पावर्ड कमेटी की बैठक आयोजित हुई। जिसमें निम्नांकित

सदस्य उपस्थित हुए :-

1. श्रीमती ज्योति खण्डेलवाल
2. श्री जगरूप सिंह यादव
3. श्री सतीश कुमार शर्मा
4. श्री आर. के. पालीवाल
5. श्री उम्मेद सिंह
6. श्री मुकेश मित्तल

महापौर

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
वरिष्ठ नगर नियोजक प्रभार अति० मुख्य नगर नियोजक
मुख्य अभियन्ता
आयुक्त (आयोजना)
उप नगर नियोजक

अध्यक्ष।
सदस्य सचिव।
सदस्य।
सदस्य।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	भू. सं./योजना का नाम	प्रकरण का प्रकार		प्रकरण पर सभिति द्वारा लिया गया निर्णय
			(उपविभाजन/पुनर्गठन/आवासीय निर्माण स्वीकृति/व्यावसायिक निर्माण स्वीकृति/अन्य)	व्यावसायिक भवन निर्माण स्वीकृति	
1	श्री नीरज कुमार शाहू	ए-12, आर.पी.ए. रोड, शास्त्री नगर, जयपुर	व्यावसायिक भवन निर्माण स्वीकृति		1. एजेण्डा में वर्णित पैरामीटर्स अनुसार भूतल+प्रथम तल की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. समस्त शुल्क जमा होने के पश्चात् मानचित्र जारी किये जायें।
2	श्री मदन लाल शाहू	ए-13, आर.पी.ए. रोड, शास्त्री नगर, जयपुर	व्यावसायिक भवन निर्माण स्वीकृति		1. एजेण्डा में वर्णित पैरामीटर्स अनुसार भूतल+प्रथम तल की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. समस्त शुल्क जमा होने के पश्चात् मानचित्र जारी किये जायें।
3	श्री अर्जुन सिंह व श्री अभित कुमार सिंह	152/1, शिप्रा पथ मानसरोवर, जयपुर	आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति बावत्		1. एजेण्डा में वर्णित पैरामीटर्स अनुसार भूतल+2 मंजिल की एजेण्डा में वर्णित पीछे के सैट बैक में संशोधन के साथ स्वीकृति दी जाती है। 2. आवेदक द्वारा बिना स्वीकृति के जो बेसमेन्ट का निर्माण किया गया है उसकी नियमानुसार नियमबद्ध राशि लेकर नियमबद्ध योग्य क्षेत्र को नियमबद्ध किया जाता है व अनियमबद्ध क्षेत्र को आवेदक द्वारा मौके से हटाने के पश्चात् ही मानचित्र जारी किये जायें। 3. प्रकरण में नवीनतम मौका रिपोर्ट प्राप्त कर यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवेदक द्वारा वर्तमान में कोई नया निर्माण तो नहीं किया गया है यदि कोई नया निर्माण पाया जाता है तो उसकी भी नियमानुसार नियमबद्ध राशि ली जाये। 4. भवन विनियम 2010 की धारा 10.1.1 (क) के अनुसार 500 वर्ग मीटर से छोटे आवासीय भूखण्ड पर पार्किंग की आवश्यकता नहीं होने के कारण प्रकरण में पार्किंग प्लान की आवश्यकता नहीं है। 5. समस्त शुल्क जमा होने के पश्चात् मानचित्र जारी किये जायें।
4	श्री अर्जुन सिंह व श्री जीतेन्द्र सिंह निर्माण	152/2, शिप्रा पथ मानसरोवर, जयपुर	आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति बावत्		1. एजेण्डा में वर्णित पैरामीटर्स अनुसार भूतल+2 मंजिल की एजेण्डा में वर्णित पीछे के सैट बैक में संशोधन के साथ स्वीकृति दी जाती है। 2. आवेदक द्वारा बिना स्वीकृति के जो बेसमेन्ट का निर्माण किया गया है उसकी नियमानुसार नियमबद्ध राशि लेकर नियमबद्ध योग्य क्षेत्र को नियमबद्ध किया जाता है व अनियमबद्ध क्षेत्र को आवेदक द्वारा मौके से हटाने के पश्चात् ही मानचित्र जारी किये जायें।

21

21

	श्री आर. एस. राठौड	सी-4, बनीपाक विस्तार, जयपुर	बावत्	<p>जाए कि आवेदक द्वारा वर्तमान में कोई नया निर्माण तो नहीं किया गया है यदि कोई नया निर्माण पाया जाता है तो उसकी भी नियमानुसार नियमबद्ध राशि ली जाये।</p> <p>4. भवन विनियम 2010 की धारा 10.1.1 (क) के अनुसार 500 वर्ग मीटर से छोटे आवासीय भूखण्ड पर पार्किंग की आवश्यकता नहीं होने के कारण प्रकरण में पार्किंग प्लान की आवश्यकता नहीं है।</p> <p>5. समस्त शुल्क जमा होने के पश्चात् मानचित्र जारी किये जायें।</p> <p>1. एजेन्डा में वर्णित पैरामीटर्स अनुसार भूखण्ड के मूल पैरामीटर्स को यथावत रखते हुए प्रस्तावित उपविभाजन अनुमोदित किया जाता है।</p> <p>2. सडक की चौड़ाई को 60'-0" किये जाने हेतु 2'-0" X 26'-6" = 5.89 वर्ग गज भूमि आवेदक से समर्पित कराई जाये।</p> <p>3. साईड व पीछे के सैट बैक में जो अवैध निर्माण है उस बावत् नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 19.02.10 के बिन्दु संख्या 1 के अनुसार आवेदक से इस बावत् शपथ पत्र लिया जाये कि उक्त उपविभाजन से मौके पर विद्यमान अवैध निर्माण को नियमित नहीं माना जायेगा।</p> <p>4. समस्त शुल्क जमा होने के पश्चात् उपविभाजन मानचित्र जारी किये जायें।</p>
5	श्री आर. एस. राठौड	सी-4, बनीपाक विस्तार, जयपुर	स्वीकृति	
6	साकेत मेडिकल सेंटर प्रा. जरिये निदेशक प्रवीण मंगलूनिया	सेक्टर-10 मानसरोवर योजना, जयपुर	बहुमजिला संस्थागत (अस्पताल) भवन निर्माण स्वीकृति बावत्।	<p>1. नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प 10 (7) नवि/13/2009 पार्ट-11 दिनांक 25.02.13 के तहत विषयान्तर्गत प्रकरण में जयपुर विकास प्राधिकरण (भवन विनियम 2010) की धारा 8.11 में दिये गये पूर्व प्राधानानुसार "सडक की चौड़ाई का डेढ गुना यथा 18.00 मीटर के आधार पर 17.59 मीटर उँचाई के साथ चतुर्थ तल अनुमोदित किया जाता है।</p> <p>2. अन्य सभी निर्मित तलों पर पूर्व स्वीकृति के बिपरीत जो निर्माण किया गया है उसकी नियमानुसार बिना स्वीकृति निर्माण की नियमबद्ध राशि लेकर नियमबद्ध किया जाता है।</p> <p>3. नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प 10 (7) नवि/13/2009 पार्ट-11 दिनांक 25.02.13 के तहत विषयान्तर्गत प्रकरण में जयपुर विकास प्राधिकरण (भवन विनियम 2010) संशोधन 2011 की तालिका 5 के अनुसार अधिकतम एफ.ए.आर. 2 उपयोग में लिये गये अतिरिक्त एफ.ए.आर. का नियमानुसार बेटरमेन्ट लेवी लिया जाकर अनुमोदित किया जाता है।</p> <p>4. संशोधित भवन विनियम के पूर्व का आवेदित प्रकरण होने के कारण व पूर्व नियमों में फ्रन्ट सैट बैक में मैकेनिकल पार्किंग अनुमोदन योग्य होने के कारण राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.02.2013 के तहत फ्रन्ट सैट बैक में मैकेनिकल पार्किंग स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।</p> <p>5. सैट बैक में जो मौके पर अवैध निर्माण किया हुआ है जिसपर पूर्व में पार्किंग अनुमोदित थी व वर्तमान में पार्किंग प्रस्तावित की हुई है।</p>

2018

8/1

- उपलब्ध कराने के पश्चात् मानचित्र जारी किये जायें।
6. एजेण्डा में वर्णित फायर स्टेयर केस में प्रस्तावित संशोधन किये जाने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में प्रस्तावित ध्वस्त किये जाने वाले क्षेत्र को हटाने के पश्चात् ही मानचित्र जारी किये जायें।
7. मौका रिपोर्ट अनुसार सैट बैक्स में बिल्डिंग के साथ आवेदक द्वारा जालियाँ लगाकर एलीवेशन टीटमेन्ट किया हुआ है जो वर्तमान नियमों के अनुसार एलीवेशन टीटमेन्ट के रूप में अनुज्ञेय है, इसे बिना स्वीकृति निर्माण की शास्ती लेकर नियमबद्ध किया जाता है।
8. भवन की उँचाई 15.00 मीटर से अधिक होने के कारण फायर की अनापत्ति प्राप्त की जाये।
9. नागरिक उद्यन विभाग की अनापत्ति पूर्व बी.पी.सी. बैठक दिनांक के तहत अनापत्ति की आवश्यकता नहीं है।
10. भूखण्ड के पश्चिम दिशा में (प्लेग्राउण्ड की ओर) ब्राउण्ड्रीबाल के पश्चात् 3 मीटर जो भूमि खुली पड़ी हुई है उसे आवेदक के भूखण्ड का हिस्सा ही माना जावे इस आशय का शपथ पत्र भी आवेदक सं लिया जाये की उनके द्वारा कम्पाउण्ड के बाहर 3 मीटर जो खुली भूमि है वह उनकी स्वयं की है व उन्होंने मौके पर रिक्त छोड़ी हुई है। मानचित्र अनुसार उक्त भाग पर पार्किंग प्रस्तावित है। जो आवेदक के स्वामित्व की होने के कारण पार्किंग स्वीकृत की जानी है।
11. समस्त शुल्क लिये जाने व फायर की अनापत्ति लिये जाने के पश्चात् मानचित्र जारी किये जायें।

अध्यक्ष,
महापौर
नगर निगम, जयपुर

सदस्य सचिव,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नगर निगम, जयपुर

वरिष्ठ नगर नियोजक
प्रमार अति० मु० नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर

सदस्य,
मुख्य अभियन्ता
नगर निगम, जयपुर

आयुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर

क्रमांक :- एफ 13 () व. न. नियो./जननि./2013/637

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

7. निजी सहायक, मा. महापौर महादया, नगर निगम, जयपुर।
8. निजी सहायक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर।
9. अति० मुख्य नगर नियोजक, नगर निगम, जयपुर।
10. अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम, जयपुर।
11. संबंधित आयुक्त,
12. गार्ड फाईल।

दिनांक:- 2/1/13

सदस्य सचिव,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
नगर निगम, जयपुर